



पत्रांक...292.../न०प०, बलरामपुर, दिनांक...11-04-2026

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत बलरामपुर।

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी,
कटिहार।

विषय – शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का जिला के NIC Portal पर प्रकाशन के संबंध में।

प्रसंग:- कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी का पत्रांक- 2056, स्था०शि०, कटिहार, दिनांक- 08.04.2026 एवं उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक - 1168 दिनांक 30.03.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि नगर पंचायत, बलरामपुर नियोजन इकाई अंतर्गत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु EBC कोटि के 01 पद रिक्त हैं।

शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 954 दिनांक 27.02.2026 के आलोक में योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थीगण के द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र नियोजन समिति के सदस्य सचिव के स्तर पर हाथों-हाथ, स्पीड पोस्ट अथवा निबंधित डाक के माध्यम से जमा करने का प्रावधान है।

अतः निवेदन है कि विभागीय अधिसूचना संकल्प संख्या-954 दिनांक-27.02.2026 एवं अधिसूचना संकल्प संख्या- 1168 दिनांक-30.03.2026 के आलोक में योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाने हेतु इसे जिला के NIC के Portal पर प्रकाशित करने की कृपा करें।

अनुलग्नक:- 1. नियोजन इकाईवार/कोटिवार रिक्त पदों की विवरणी।

2. आवेदन प्रपत्र।

3. कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी का पत्रांक- 2056, स्था०शि०, कटिहार, दिनांक- 08.04.2026।

4. उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक - 1168 दिनांक 30.03.2026।

5. विभागीय अधिसूचना संकल्प संख्या-954 दिनांक-27.02.2026।

विश्वासभाजन

Anayatullah Rafi
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत बलरामपुर।

शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की विवरणी।

क्र० सं०	नियोजन इकाई का नाम	प्रखण्ड / पंचायत का नाम	EBC कोटि में रिक्त पदों की संख्या	BC कोटि में रिक्त पदों की संख्या	कुल	अभ्युक्ति
01.	नगर पंचायत	बलरामपुर	01	00	01	

Anayatullah Rafi
11-04-26
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत बलरामपुर
कटिहार

आवेदन प्रपत्र
(नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/प्रखंड)
(जो लागू हो, उसे(✓) करें)

पासपोर्ट साईज
का
स्वअभिप्रमाणित
फोटो

1. नियोजन हेतु आवेदित नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/प्रखंड का नाम :-
2. पद का नाम :- शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक
3. अभ्यर्थी का नाम :-
- (क) पिता/पति का नाम :-
- (ख) माता का नाम :-
4. जन्म तिथि :- वर्ष माह दिन
5. लिंग :- पुरुष महिला
6. पत्राचार का पता :- ग्राम/मोहल्ला/शहर.....थाना.....जिला.....
पिन कोड.....
7. स्थायी पता :- ग्राम/मोहल्ला/शहर.....थाना.....जिला.....
पिन कोड.....
8. कोटि :- सामान्य आरक्षित
9. आरक्षण की कोटि :- अ0पि0व0 पि0व0
10. दिव्यांगता का प्रकार :- दृष्टि बाधित श्रवण बाधित
अस्थिजन्म निःशक्त मनोविकार
बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें केन्द्र सरकार :-
द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी
(हाँ/नहीं)
11. शैक्षणिक एवं प्रशिक्षणिक योग्यता का विवरण.
(क) शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा उत्तीर्णता का वर्ष :-
(ख) शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा का प्राप्तांक प्रतिशत:-
(ग) शैक्षणिक योग्यता :-

क्र० सं०	शैक्षणिक योग्यता	विद्यालय/महाविद्यालय का नाम	बोर्ड/परिषद/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत अंक

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मैट्रिक						
2.	माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक / इण्टर						
3.	स्नातक / स्नातक प्रतिष्ठा						
(घ) प्रशैक्षणिक योग्यता :-							
	शारीरिक शिक्षा सर्टिफिकेट / डिप्लोमा / डिग्री						

नोट :- आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से संबंधित प्रमाणपत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी सूचनाएँ सही हैं। किसी प्रकार की सूचना गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

स्थान.....

तिथि.....

आवेदक का हस्ताक्षर

प्राप्ति रसीद

श्री/सुश्री/श्रीमती.....से मध्य विद्यालय के शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किया गया, जिसकी प्राप्ति संख्या.....है।

दिनांक.....

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

शिक्षा विभाग
बिहार सरकार
::अधिसूचना::

पटना, दिनांक- 30/03/2026

संचिका संख्या-07/मु0-02-37/2025 1168 /तत्कालीन प्रयुक्त 'बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक(नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली-2012' एवं ' बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली-2012' सम्प्रति 'बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023' के प्रभावी तिथि के पूर्व का है, में प्रावधानित है कि मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति की जाएगी। उक्त नियमावली में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के संबंध में नियुक्ति हेतु नियुक्ति प्राधिकार, नियुक्ति हेतु अर्हता, सेवा संबंधी शर्तें, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं अवकाश के प्रावधानित किए गए हैं। विभागीय आदेश ज्ञापांक-3907 दिनांक-31.10.2025 में प्रावधान के आलोक में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या-954 दिनांक-27.02.2026 के द्वारा पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कुल 239 सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2. उक्त दिशा-निर्देश के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा समय-सारणी / कैलेंडर निर्धारित किया जाना है। साथ ही उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन के लिए विहित प्रपत्र तैयार किया जाना है।

3. उक्त के क्रम में राज्य के मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित समय-सारणी / कैलेंडर निर्धारित किया जाता है:-

क्र०सं०	नियोजन से संबंधित गतिविधि	अवधि
(i)	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालयवार पदों को उपावृत्त करते हुए नियोजन इकाई को कोटिवार रिक्त पदों का जिला के NIC के पोर्टल पर संसूचन करना।	08.04.2026
(ii)	नियोजन इकाई द्वारा रिक्त पदों का जिला के NIC के पोर्टल पर प्रकाशन।	11.04.2026
(iii)	योग्य अभ्यर्थियों द्वारा संलग्न विहित प्रपत्र में आवेदन	11.04.2026 से 26.04.2026


क्र.	पत्र प्राप्ति की तिथि।	
(iv)	नियोजन इकाई के सदस्य सचिव द्वारा औपचारिक मेधा सूची का प्रकाशन	29.04.2026
(v)	मेधा सूची पर आपत्ति (यदि हो तो) प्राप्त करने हेतु उसे जिला के जिला के NIC के पोर्टल पर प्रकाशन।	29.04.2026
(vi)	आपत्ति प्राप्त करने की अवधि	29.04.2026 से 05.05.2026
(vii)	प्राप्त आपत्ति के निराकरण के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकार से मेधा सूची पर अंतिम रूप से अनुमोदन प्राप्त करना।	09.05.2026
(viii)	अंतिम मेधा सूची का जिला के NIC के पोर्टल पर प्रकाशन।	09.05.2026
(ix)	जिला स्तर पर आहूत कैंप में मेधा क्रम से अभ्यर्थियों को आमंत्रित कर उनके प्रमाणपत्र की प्रारंभिक जाँच एवं चयन सूची तैयार करना।	12.05.2026
(x)	कोटिवार रिक्ति के अनुसार चयन सूची का जिला के NIC के पोर्टल पर प्रकाशन।	13.05.2026
(xi)	चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण	28.05.2026

4. विभागीय अधिसूचना संख्या 954 दिनांक-27.02.2026 में निहित प्रावधान के अनुरूप मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। जिला स्तर पर कैंप का निर्धारण जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी के परामर्श से किया जाएगा।

5. निर्धारित कैंप में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व समाप्त मानते हुए उपस्थित अभ्यर्थिगण अंतर्गत अंतिम मेधा सूची एवं रोस्टर विन्दु को ध्यान में रखकर चयन सूची प्रकाशित की जाएगी।

6. चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व प्रमाणपत्रों की जाँच की जानी है। इससे संबंधित विस्तृत निदेश पृथक रूप से निर्गत किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(अजय रातोश भोमरा)

ज्ञापांक 07/मु0-02-37/2025.....1168

उप सचिव, शिक्षा विभाग।
पटना, दिनांक 30/03/2026

प्रतिलिपि:-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी महापौर, नगर निगम /सभी जिला पदाधिकारी/
सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा
पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी अध्यक्ष नगर परिषद्/नगर पंचायत/सभी
कार्यक्रम पदाधिकारी (शिक्षा) / सभी प्रमुख, पंचायत समिति / सभी प्रखंड विकास
पदाधिकारी / सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/3/26

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

पटना, दिनांक 30/03/2026

ज्ञापांक 07/मु0-02-37/2025.....1168

प्रतिलिपि:- राज्य परियोजन निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्/निदेशक, प्राथमिक
शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी सदस्य जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय
प्राधिकार/आप्त सचिव, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/3/26

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

पटना, दिनांक 30/03/2026

ज्ञापांक 07/मु0-02-37/2025.....1168

प्रतिलिपि:-आई0 टी0 मैनेजर , शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/3/26

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

शिक्षा विभाग
बिहार सरकार
::अधिसूचना::

पटना, दिनांक.....

संचिका संख्या 07/मु0-02-37/2025.....तत्कालीन प्रवृत्त बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 एवं बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 सम्प्रति बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023 के प्रभावी तिथि के पूर्व का है, में यह प्रावधानित है कि गध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति की जाएगी। उक्त नियमावली में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के संबंध में नियुक्ति हेतु नियुक्ति प्राधिकार, अनुशासनिक प्राधिकार, नियुक्ति हेतु अर्हता, सेवा संबंधी शर्तें, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं अवकाश के प्रावधान किए गए हैं। विभागीय आदेश ज्ञापांक-3907 दिनांक-31.10.2025 में प्रावधानित है कि अनुदेशक के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधित दिशा-निदेश प्रशासी विभाग द्वारा अलग से निर्गत किया जाएगा।

2. इस नियमावली में निहित प्रावधान के अनुरूप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की विज्ञप्ति संख्या-PR 373/2019 के तहत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा-2019 में शामिल हुए थे। उक्त परीक्षा के परीक्षा परिणाम का प्रकाशन दिनांक 12.02.2020 को की गई, जिसमें 3523 अभ्यर्थी सफल घोषित किये गये। इस परीक्षा परिणाम के आधार पर स्थानीय निकाय के विभिन्न नियोजन इकाईयों द्वारा जुलाई 2022 तक कुल 2350 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति की जा चुकी है।

3. शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा-2019 की परीक्षा उत्तीर्णता के लिए पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 05 प्रतिशत की छूट का लाभ दिये जाने के वर्ष 2023 में लिये गये विभागीय निर्णय के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णक 50 प्रतिशत में 05 प्रतिशत की छूट देते हुए संशोधित रिजल्ट प्रकाशित किया गया। ऐसे अभ्यर्थियों की कुल संख्या 239 है। इस संशोधित रिजल्ट में सफल घोषित किये गये एवं योग्य होते हुए भी नियोजन प्रक्रिया स्थगित होने के कारण उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी। उनका यह भी कहना है कि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के कुल स्वीकृत पद 8386 के विरुद्ध मात्र 2350 अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति हो सकी है। ऐसी स्थिति में उन्हें नियोजन की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाय।

ज्ञातव्य हो कि जुलाई 2022 तक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति की परीक्षा परिणाम विभागीय प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी, लेकिन याचिकाकर्तागण

सहित 239 अभ्यर्थियों के शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा-2019 का पत्रांक-7/नियो-09/2022-90 दिनांक 25.01.2023 द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा मार्च 2023 में प्रकाशित किया गया। इस कारण से 239 अभ्यर्थी नियोजन की प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित हो गये।

4. बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 एवं तदालोक में अधिसूचित उक्त नियमावली के अन्तर्गत मध्य विद्यालयों में, जहाँ, 100 से अधिक छात्र नामांकित हैं, में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्ति की कार्यवाही की जानी है। इस क्रम में अंकनीय है कि सभी 8386 पंचायतों को एक-एक उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित किया गया है। इस हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-93 दिनांक-14.05.2020 की कंडिका-9 में यह अंकित है कि "मध्य विद्यालय में शारीरिक शिक्षक अथवा शारीरिक अनुदेशक का पद है और यह मध्य विद्यालय ही उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित हुए हैं। इसलिए तत्काल माध्यमिक प्रक्षेत्र में शारीरिक शिक्षक के पद का सृजन का प्रस्ताव नहीं है।" अतः ऐसे मध्य विद्यालय, जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित हुए हैं, में मध्य विद्यालय हेतु अंशकालिक पद पर नियुक्त होनेवाले शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के दायित्व अन्तर्गत विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राएँ आच्छादित होंगे।

5. शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का पद अंशकालिक है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय के समय-सारणी तैयार करने के क्रम में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के लिए घंटी का निर्धारण इस प्रकार से करना होगा कि इन्हें विद्यालय के पूरे अवधि तक विद्यालय में रहने की बाध्यता नहीं हो।

6. उक्त पृष्ठभूमि में उक्त नियमावलियों में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत में 05 प्रतिशत की छूट देते हुए संशोधित रिजल्ट में सफल 239 पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक (अंशकालिक) के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधित दिशा-निदेश निम्नवत् निर्धारित किए जाते हैं :-

(i) पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आदर्श रोस्टर बिन्दु (आरक्षण संबंधी प्रावधान) प्रभावी होगा। चूँकि विभिन्न नियोजन इकाईयों द्वारा जुलाई 2022 तक कुल 2350 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक (अंशकालिक) की नियोजन की गयी। माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 239 सफल पुरुष अभ्यर्थियों का नियोजन व्यवहृत अंतिम आरक्षण बिन्दु से प्रारंभ होगा।

(iii) नियुक्ति हेतु समय-सारणी / कैलेण्डर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। निदेशालय द्वारा निर्धारित समय-सारणी के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नियोजन इकाई को पद उपावृत्त करते हुए जिला पदाधिकारी से रोस्टर क्लीयर कराकर नियोजन इकाई को कोटिवार रिक्ति का संसूचन किया जाएगा।


(iii) योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थीगण के द्वारा विहित प्रपत्र (यथा निदेशित) में आवेदन पत्र नियोजन समिति के सदस्य सचिव के स्तर पर हाथों-हाथ, स्पीड पोस्ट अथवा निबंधित डाक से प्राप्त किया जाएगा।

(iv) यह नियुक्ति मेधा सूची के आधार पर की जाएगी। संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा मेधा सूची का प्रारूप तैयार किया जाएगा। अभ्यर्थीगण द्वारा योग्यता परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक को अवरोही क्रम में रखते हुए मेधा सूची का प्रारूप तैयार किया जाएगा। योग्यता परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक समान रहने की स्थिति में जिनकी जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। समान प्रतिशत अंक एवं समान जन्मतिथि रहने पर अंग्रेजी के शब्दकोष के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहले होगा, उसका मेधा सूची में ऊपर स्थान निर्धारित किया जाएगा। नियुक्ति प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर इसे औपबंधिक रूप से कम-से-कम 15 दिनों तक जिला के NIC के वेबपोर्टल पर प्रकाशित करते हुए आपत्ति (यदि हो) प्राप्त किया जाएगा। आपत्ति का निराकरण करते हुए नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा मेधा सूची को अंतिम रूप देते हुए प्रकाशित किया जाएगा।

(v) जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के परामर्श से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित कैम्प में मेधा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को आमंत्रित करते हुए उनके प्रमाणपत्र की प्रारंभिक जाँच की जाएगी। कैम्प में अनुपस्थित रहनेवाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व समाप्त मानते हुए उपस्थित अभ्यर्थीगण अन्तर्गत अंतिम मेधा सूची एवं रोस्टर बिन्दु को ध्यान में रखकर चयन सूची प्रकाशित की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जाँच कराकर उन्हें नियुक्ति पत्र संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत किया जाएगा।

उक्त निर्णय पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(अजय सतीश मेहरा)

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

पटना, दिनांक 23/02/2026

ज्ञापांक 07/मु0-02-37/2025..... 954-

प्रतिलिपि:-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी महापौर, नगर निगम /सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी मुख्य

कार्यपालक पदाधिकारी / कार्यपालक पदाधिकारी / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी / सभी अध्यक्ष नगर परिषद / नगर पंचायत / सभी कार्यक्रम पदाधिकारी (शिक्षा) / सभी प्रमुख, पंचायत समिति / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक 07 / मु0-02-37 / 2025..... 954

प्रतिलिपि:- राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद / निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / सभी सदस्य जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार / आप्त सचिव, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक 07 / मु0-02-37 / 2025..... 954

प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

[Signature]
उप सचिव, शिक्षा विभाग।
पटना, दिनांक..... 27/02/2026

[Signature]
उप सचिव, शिक्षा विभाग।
पटना, दिनांक..... 27/02/2026

[Signature]
उप सचिव, शिक्षा विभाग।